Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में भू–अभिलेख निरीक्षक 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *02 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बूंदी इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये श्योजीराम मीणा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत–घाट का बराना, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि राजस्व न्यायालय के निर्णय की पालना में कृषि भूमि का कब्जा दिलवाने एवं अप्रार्थीगण को पाबंद करने की एवज में श्योजीराम मीणा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत–घाट का बराना, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी 3 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बूंदी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्योजीराम मीणा पुत्र श्री रामनाथ निवासी ग्राम बीकरण, थाना हिण्डोली, जिला बूंदी हाल भू–अभिलेख निरीक्षक वृत–घाट का बराना, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।